कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे मुआवजे के प्रयोजन से पर्यावरण को हुई क्षति का पता लगाया जा सके। प्राधिकारी और प्रक्रिया के बारे में कुछ निर्धारण होना चाहिए जिसके द्वारा वह प्राधिकारी पर्यावरण राहत कोष में जमा होने वाली मुआवजे की राशि का उपयोग कर सके।

"परिसंकटमय पदार्थों" की परिभाषा की समीक्षा की जरूरत है क्योंकि पर्यावरणीय क्षति उन पदार्थों से हो सकती है जो संगत लोकदायिता बीमा अधिनियम, 1991 के तहत "परिसंकटमय" के रूप में अनुसूचित नहीं है।

संभव है कि किसी "दुर्घटना" के प्रभावों का अनुभव कुछ समय के बाद हो। अतः मुआवजे के दावे के लिए पांच वर्षों की सीमा को संशोधित किया जाए तथा प्रत्येक पदार्थ के लिए उसके स्वरूप के आधार पर अलग अलग सीमा अवधि बताई जाए।

सिविल कार्यविधि संहिता, 1908 (कुछ मुख्य उपबंधों को छोड़कर) के प्रचालन के अपवर्जन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक सूचना की प्राप्ति के लिए अनिवार्य उपबंध हो।

इस कानून का नाम भ्रामक है। इसका नाम "पर्यावरण दावे न्यायाधिकरण" अथवा "मुआवजा अदायगी न्यायाधिकरण" होना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशें भाग (क) और (ख) में उल्लिखित सिफारिशें ही हैं।

(ङ) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 में, किसी परिसंकटमय पदार्थ को हैंडल करते समय होने वाली किसी दुर्घटना से उत्पन्न क्षतियों के लिए कठोर दायित्व तथा व्यक्तियों, संपत्ति तथा पर्यावरण तथा उनसे जुड़े मामलों अथवा प्रासंगिक मामलों में क्षतियों हेतु राहत और मुआवजा देने के ध्येय से ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है। वर्तमान में इस न्यायाधिकरण का कार्य क्षेत्र परिसंकटमय पदार्थों के हथालन से उत्पन्न दुर्घटनाओं के मामलों के अधिनिर्णय तक सीमित है। कर्मकारों को इस अधिनियम की कार्य-सीमा से बाहर रखा गया है क्योंकि इनके मामले अन्य कानूनों के तहत आते हैं।

उक्त न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा परन्तु यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा। न्यायाधिकरण के पास अपनी कार्यविधि विनियमित करने की शक्ति होगी। साथ ही कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियां भी इस न्यायाधिकरण के पास होंगी। ये उपबंध मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किए गए हैं। यह उपबंधित किया गया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रतिनिधि निकाय अथवा संगठन द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन किया जाए। यह न्यायाधिकरण क्षति के दावों पर सभी कार्रवाई करेगा जब उनको क्षति होने की तारीख से 5 वर्षों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। यह महसूस किया गया कि अधिक लम्बी अवधि के अकारण मुकदमेबाजी होगी। कारण कार्य संबंध को भी जान पाना कठिन होगा। पर्यावरण को होने वाली क्षति के संबंध में मुआवजे की धनराशि को पर्यावरण राहत कोष के तहत जमा किया जाएगा और उसका उपयोग किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जहां इस अधिनियम के तहत अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो वहां अपराध किए जाने के समय कंपनी का कारोबार चलाने के लिए कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभारी और उसके लिए उत्तरदायी हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ कंपनी को अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और तदनुसार उसे दंडित किया जाएगा।

Vacant reserved posts in Schools

3290. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there arc large number of vacancies lying vacant in the Kcndriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas in the country, particularly in the State of Punjab;

(b) if so, the details thereof. Statewise, and the reasons therefor; and

(c) the time by which the posts/ vacancies arc likely to be filled up by Government in the aforesaid schools in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) The details of vacancies of teachers in Navodaya Vidyalayas and Kcndriya Vidyalayas arc given in statement. *(See.* below) Occurence of vacancies and filling them up is a continuous process in Kendriya Vidyalaya Sangathan and - Navodaya Vidyalaya Samiti. Action has been initiated to fill up the vacant posts expeditiously.

Statement

(a) *Vacancies of teaching staff (statewise) in Navodaya Vidyalayas as on* 30.06.1996

S.No.	State	PGTs	TGTs	MISC. CATEGORIES
1.	A & N ISLANDS	03	04	03
2.	ANDHRA PRADESH	23	18	12
3.	ASSAM	01	45	12
4.	ARUNACHAL PRADESH	04	19	02
5.	BIHAR	49	21	20
6.	CHANDIGARH	—	—	—
7.	DAMAN & DIU	06	04	01
8.	DADRA & NH	02	02	01
9.	DELHI	02	04	01
10.	GOA	02	—	02
11.	GUJARAT	23	32	14
12.	HIMACHAL PRADESH	21	16	06
13.	HARYANA	27	34	12
14.	JAMMU & KASHMIR	50	39	35
15.	KARNATAKA	45	22	10
16.	KERALA	10	09	07
17.	LAKSHADWEEP	01	04	01
18.	MADHYA PRADESH	73	90	33
19.	MAHARASHTRA	40	31	14
20.	MEGHALAYA	09	21	05
21.	MANIPUR	12	28	07
22.	MIZORAM	02	11	03
23.	NAGALAND	02	18	04
24.	ORISSA	12	31	08
25.	POND1CHERRY	04	07	06
26.	PUNJAB	23	09	04
27.	RAJASTHAN	68	102	26
28.	SIKKIM	03	08	03
29.	TRIPURA	01	12	02
30.	UTTAR PRADESH	66	116	25
	TOTAL	584	753	279

(B) Vacancies of teaching staff (Region-Wise) in K.V.S. (As on 31.03.1996)

S.No.	REGION	PGT	TGT	PRT	MISC.
1	2	3	4	5	6
1.	Ahmcdabad	21	50	41	58
2.	Bangalore	09	58	62	65
3.	Bhopal	11	63	17	46
4.	Bhubeneshwar	18	57	35	58
5.	Bombay	04	82	82	57
6.	Calcutta	26	49	37	43
7.	Chandigarh	20	58	27	94
8.	Dehradun	17	17	17	17
9.	Delhi	-03*	81	-15*	19
10.	Guwahati	29	36	45	65
11.	Gwalior	10	20	10	19
12.	Hyderabad	—	54	46	49
13.	Jabalpur	11	57	35	49
14.	Jaipur	15	87	51	64
15.	Jammu		51	32	26
16.	Lucknow	-03*	05	04	29
17.	Madras	05	11	07	20
18.	Patna	07	19	41	59
19.	Silchar	34	78	70	46
	Total	261	933	644	917

*-Re. figures shows surplus position of staff over and above staff sanctioned.

Improvement of Viyayawada-Nellorc Railway track

3291. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the prospects for improving the solidity and stability of the railway track on the Vijayawada-Nellore section;

(b) whether it is a fact that frequent derailments take place on this section;

(c) if so, the reaction of the Railways thereon;

(d) whether there is a proposal to slowdown the speed of the trains on this section; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) To improve the solidity and stability, 63,33 kms. of track between Vijayawada and Nellorc has been renewed in 1995-96 and further 4.10 kms. of track renewals arc included in the current year's Works Programme. Some other works like Deep Screening and Formation treatment arc being done regularly for strengthening of this section.

(b) No, Sir.

(c) Docs not arise.

(d) No, Sir.

(c) Docs not arise.

महिलाओं के लाभ के लिए योजनायें

*3292. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अक्तूबर, 1995 तक गुजरात में महिलाओं के लाभ के लिए कितनी योजनायें कार्यान्वित की गईं;